अवकाश

विषय सूची

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन	सं0 737 / xxvii(7) / 2010 दिनांकः 27 अक्टूबर, 2010	33—34
2.	राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति	सं0 11 / xxvii(7)34 / 2011 दिनांकः 30 मई, 2011	35—36

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

संख्याः 737 / xxvii(7) / 2010

देहरादून, दिनांकः27 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–सा–4–392 / दस–99–203–86 दिनांक 4 जुलाई,1999 द्वारा कुल उपार्जित अवकाश 300 दिन निर्धारित किया गया है ।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को कमशः16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का प्रथम छमाही के अंतिम माह 30 जून एवं द्वितीय छमाही के अंतिम माह 31 दिसम्बर, तक उपभोग कर सकते है। उक्त अर्जित किये गये अवकाश को पूर्व में अर्जित कुल 300 दिनों के अवकाश में से घटाया नहीं जाएगा। कलैण्डर वर्ष के 01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अनुमन्य 16 दिन एवं 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग संबंधित छमाही में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा अर्थात प्रत्येक छः माह में माहवार अर्जित अवकाश का उपभोग संगत छमाही में ही किया जा सकेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
3. संबंधित अवकाश नियमों मे आवश्यक संशोधन यथा समय पृथक से किया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या : 737 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 11 / xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांकः30 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगाः–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकतें हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 मई,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या : 11 (1)/XXVII(7)34/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।